

9411

रसीद दस्तावेज वगैरह

5746083

दफ्तर

3395

मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तख्त की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
(1)	(2)	(3)	(4)
	गोपाल प्रभुकिशन दि 2022-23 से 41.65 तक कम 03 वर्ष माहदुकर	6850/-	

तारीख

6 JUN 2025

उप-पंजीयक

दुर्ग (उ.प्र.)

कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

दवे पेट्रोल पंप के पास, तहसील कार्यालय के पीछे-491001

क्रमांक/8-अ/ 33957/उ.पं./2025

दुर्ग, दिनांक .06.2025

प्रति,

- 6 JUN 2025

श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी
द्वारा- श्री आईपी मिश्रा
निवासी- भिलाई जिला दुर्ग

विषय:- भारमुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- उक्त विषयक आपका पत्र इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.06.2025।

—:00:—

उक्त संदर्भित पत्र में आपके द्वारा "मौजा ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 43, खसरा नंबर- 97/2 (सन्तानवे बटा दो), 86/7 (98/7) (छियासी बटा सात अठानवे बटा सात), 86/16(98/13) (छियासी बटा सोलह-अठानवे बटा तेरह), 86/21 (98/17) (छियासी बटा इक्कीस-अठानवे बटा सत्रह), 102/6 (एक सौ दो बटा छह), 102/7 (एक सौ दो बटा सात), 98/5 (अठानवे बटा पाँच), 102/12 (एक सौ दो बटा बारह), 103/3 (एक सौ तीन बटा तीन), 103/4 (एक सौ तीन बटा चार), 103/5 (एक सौ तीन बटा पाँच), 102/8 (एक सौ दो बटा आठ), 98/10 (अठानवे बटा दस), 86/4 (छियासी बटा चार) ", हेतु वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक कुल 02 वर्ष, के लिए भारमुक्त प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में आवेदित अवधि (2023-24 से 2024-25) हेतु, इस कार्यालयल में यथा उपलब्ध सूची क्रमांक-2 एवं एनजीडीआरएस पोर्टल में यथा उपलब्ध विकल्पों के आधार पर खोज किया गया है, जिसमें उक्त विवरणयुक्त संपत्ति के संबंध में इस अवधि में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी है। राजस्व विभाग की वेबसाईट भईयां (<https://bhuiyan.cg.nic.in/>) में भी आज दिनांक को उक्त खसरा नंबरों के संबंध में अवलोकन किया गया है, जिसमें खसरा नंबर 97/2, 98/10, 86/4 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक दर्शित हो रहा है तथा अन्य खसरों में बंधक संबंधी प्रविष्टि अंकित नहीं है। इन बंधकित खसरों के संबंध में इस कार्यालय के सूची-2 में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी है।

आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में आवेदक द्वारा "मौजा ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 43, खसरा नंबर- 97/2 (सन्तानवे बटा दो), 86/7 (98/7) (छियासी बटा सात अठानवे बटा सात), 86/16(98/13) (छियासी बटा सोलह-अठानवे बटा तेरह), 86/21 (98/17) (छियासी बटा इक्कीस-अठानवे बटा सत्रह), 102/6 (एक सौ दो बटा छह), 102/7 (एक सौ दो बटा सात), 98/5 (अठानवे बटा पाँच), 102/12 (एक सौ दो बटा बारह), 103/3 (एक सौ तीन बटा तीन), 103/4 (एक

सौ तीन बटा चार), 103/5 (एक सौ तीन बटा पाँच), 102/8 (एक सौ दो बटा आठ), 98/10 (अठानवे बटा दस), 86/4 (छियासी बटा चार)" को, किसी भी संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के पास विक्रय, दान या बंधक नहीं होने, तथा भारमुक्त होने का उल्लेख किया गया है।

आवेदक के शपथ पत्र, एवं इस कार्यालय यथा उपलब्ध उक्त प्रक्रिया के माध्यम से किए गए अवलोकन के आधार पर "मौजा ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 43, खसरा नंबर- 97/2 (सन्तानवे बटा दो), 86/7 (98/7) (छियासी बटा सात अठानवे बटा सात), 86/16(98/13) (छियासी बटा सोलह-अठानवे बटा तेरह), 86/21 (98/17) (छियासी बटा इक्कीस-अठानवे बटा सत्रह), 102/6 (एक सौ दो बटा छह), 102/7 (एक सौ दो बटा सात), 98/5 (अठानवे बटा पाँच), 102/12 (एक सौ दो बटा बारह), 103/3 (एक सौ तीन बटा तीन), 103/4 (एक सौ तीन बटा चार), 103/5 (एक सौ तीन बटा पाँच), 102/8 (एक सौ दो बटा आठ), 98/10 (अठानवे बटा दस), 86/4 (छियासी बटा चार)" उपरोक्त प्रविष्टियों के अधीन रहते हुए आवेदित अवधि(2023-24 से 2024-25) हेतु, उक्त कथनों के अधीन रहते हुए भारमुक्त प्रमाणित किया जाता है।

टीप:-उपरोक्त भारमुक्तता का कथन इस कार्यालय में यथा उपलब्ध एवं ई-पंजीयन से यथा प्राप्त एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को यथास्थिति उपलब्ध कराए सूची क्रमांक-02, स्कैनिंग/ डिजीटाईजेशन हेतु उपलब्ध पोर्टल, एनजीडीआरएस पोर्टल केवल प्रथम दृष्टया अवलोकन पर आधारित है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराए गए उक्त संसाधनों में, ऐसे तथ्य जो दर्ज या इंड्राज न हों, के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता या यह कार्यालय किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

सूची क्रमांक-02 तथा पुस्तक क्रमांक 01 में पंजीबद्ध विलेख समस्त विश्व के लिए उपलब्ध अभिलेख है, अतः उक्त संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हेतु, हितबद्ध पक्षकार या व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन कर उक्त संपत्ति के संबंध में वांछित/आवश्यक जानकारी स्वतः संकलित कर सकते हैं, एवं हित प्रभावित होने की स्थिति में अनिवार्यतः संकलित करें, अन्यथा की स्थिति में या किसी भी अन्य परिस्थिति में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता या यह कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त भारमुक्तता का कथन इस कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध उक्त संसाधनों पर आधारित एक सूचना मात्र है।

वरिष्ठ उपाधीक्षक

मु. वरिष्ठ उपाधीक्षक

दुर्ग (छ. ग.)

8

3412

रसीद दस्तावेज वगैरह

5746084

दफ्तर

3396

मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तख्त की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
(1)	(2)	(3)	(4)
	श्रीगोपाल प्रियदर्शन वस 2023.44 सि.प. 25/13 कु.न. 02 वस गिरधर न	850/-	

तारीख

6 JUN 2025

उप-पंजीयक
उप पंजीयक
दुर्ग (छ.प्र.)

कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

दवे पेट्रोल पंप के पास, तहसील कार्यालय के पीछे-491001

क्रमांक/8-अ/3396/उ.पं./2025

दुर्ग, दिनांक 06.06.2025

6 JUN 2025

प्रति,

श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी
द्वारा- श्री आईपी मिश्रा
निवासी- भिलाई जिला दुर्ग

विषय:- भारमुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- उक्त विषयक आपका पत्र इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.06.2025।

—:00:—

उक्त संदर्भित पत्र में आपके द्वारा "मौजा ग्राम करहीडीह, प.ह.नं. 17/8, खसरा नंबर- 108 (एक सौ आठ), 112/2 (एक सौ बारह बटा दो) रकबा 0.90 हे., 0.68 हे. ", हेतु वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक कुल 02 वर्ष, के लिए भारमुक्त प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में आवेदित अवधि (2023-24 से 2024-25) हेतु, इस कार्यालय में यथा उपलब्ध सूची क्रमांक-2 एवं एनजीडीआरएस पोर्टल में यथा उपलब्ध विकल्पों के आधार पर खोज किया गया है, जिसमें उक्त विवरणयुक्त संपत्ति के संबंध में इस अवधि में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी है।

आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में आवेदक द्वारा "मौजा ग्राम करहीडीह, प.ह.नं. 17/8, खसरा नंबर- 108 (एक सौ आठ), 112/2 (एक सौ बारह बटा दो) रकबा 0.90 हे., 0.68 हे. ", को, किसी भी संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के पास विक्रय, दान या बंधक नहीं होने, तथा भारमुक्त होने का उल्लेख किया गया है।

आवेदक के शपथ पत्र, एवं इस कार्यालय यथा उपलब्ध उक्त प्रक्रिया के माध्यम से किए गए अवलोकन के आधार पर "मौजा ग्राम करहीडीह, प.ह.नं. 17/8, खसरा नंबर- 108 (एक सौ आठ), 112/2 (एक सौ बारह बटा दो) रकबा 0.90 हे., 0.68 हे. ", उपरोक्त प्रविष्टियों के अध्यक्षीन रहते हुए आवेदित अवधि (2023-24 से 2024-25) हेतु, उक्त कथनों के अधिन रहते हुए भारमुक्त प्रमाणित किया जाता है।

टीप:-उपरोक्त भारमुक्तता का कथन इस कार्यालय में यथा उपलब्ध एवं ई-पंजीयन से यथा प्राप्त एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को यथास्थिति उपलब्ध कराए सूची क्रमांक-02, स्कैनिंग/ डिजीटाईजेशन हेतु उपलब्ध पोर्टल, एनजीडीआरएस पोर्टल केवल प्रथम दृष्टया अवलोकन पर आधारित है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराए गए उक्त संसाधनों में, ऐसे तथ्य जो दर्ज या इंड्राज न हों, के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता या यह कार्यालय किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

सूची क्रमांक-02 तथा पुस्तक क्रमांक 01 में पंजीबद्ध विलेख समस्त विश्व के लिए उपलब्ध अभिलेख है, अतः उक्त संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हेतु हितबद्ध पक्षकार या व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन कर उक्त संपत्ति के संबंध में वांछित/आवश्यक जानकारी स्वतः संकलित कर सकते हैं, एवं हित प्रभावित होने की स्थिति में अनिवार्यतः संकलित करें, अन्यथा की स्थिति में या किसी भी अन्य परिस्थिति में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता या यह कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त भारमुक्तता का कथन इस कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध उक्त संसाधनों पर आधारित एक सूचना मात्र है।

वरिष्ठ उपपंजीयक
मु. वरिष्ठ उपपंजीयक
दुर्ग (छ. ग.)